

21.9.21

पत्रावली चेस डर्ब इस प्रकृति से सम्बन्धित
मूलवाद में पक्षकान द्वारा आपसी सहमति/
शर्तनामा के आन्धर पर वाद वादीगण
स्वीकार किया जाकर मूलवाद का निराकरण
किया जा चुका है। मूलवाद के निराकरण
होने से इस प्रकृति का कोई औचित्य
शेष नहीं रह जाता है। इस प्रकृति के
वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।
इस प्रकृति में दिनांक 24-12-2020 को
जारी अख्यत निवेद्याता आदेश मूलवाद के
निराकरण होने से स्वतः निरस्त है। पत्रावली
द्वारा नम्बर से कम होकर संलग्न मूलवाद
संख्या 13/2020 मुनवान गालिन्द कोर व अन्य
बनाम बलविन्द कोर व अन्य रहे।

उम्मेद सिंह शर्मा
(R.S.S)

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर